

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/105
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00096
CICOM/R/2018/00181

दिनांक: 24.04.2018

अपीलकर्ता : श्री गिरीश कुमार सिन्हा,
पुत्र - स्व० श्री बच्चू प्रसाद,
मु० - संतर, वार्ड नं. 13, लखीसराय,
जिला - लखीसराय, बिहार - 811311.
मो० - 8539024207.

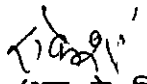
निर्णय की तारीख: 24.04.2018

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	15.02.2018
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	04.04.2018
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री एस. एस. रोहिल्ला
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	12.04.2018
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	168/23.04.2018 (124259/17.04.2018)

1. अपीलकर्ता ने दिनांक 15.02.2018 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से आयोग को प्रेषित अपने दिनांक 30.05.2017 के द्वितीय अपील पर सीधे सुनवाई का अनुरोध किया था, जिसके प्रतिउत्तर में श्री एस. एस. रोहिल्ला, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त - एस.बी. कार्यालय द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध अपीलकर्ता ने प्रथम अपील दाखिल की है।
2. संबंधित संचिका एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 15.02.2018 के आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री एस. एस. रोहिल्ला, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त-एस.बी. कार्यालय द्वारा दिनांक 04.04.2018 को पत्र सं. CICOM/R/2018/00181/S8 के माध्यम से अपीलकर्ता को वांछित सूचना उपलब्ध करवा दी गई है तथा अपीलकर्ता का आवेदन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित होने के कारण, जो कि वर्तमान कार्य आवंटन के अनुसार सूचना आयुक्त-वाई.ए. को आवंटित है, उपलब्ध करवाई गई सूचना की प्रति श्री आर. पी. गोवर, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त-वाई.ए. कार्यालय को भी प्रेषित की गई है। तदुसार श्री आर. पी. गोवर, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त-वाई.ए. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की प्राप्ति के दस दिनों के अंदर अपीलकर्ता को आर.टी.आई. आवेदन से संबंधित अद्यतन सूचना उपलब्ध करवाई जाए।
3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।
4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रथम अपील हेतु कोई शुल्क देय नहीं है, अतः आपके प्रथम अपील आवेदन के साथ संलग्न दस रु० का पोस्टल आर्डर सं. 42 एफ 740398 आपको वापस किया जाता है।

संलग्नक - यथोपरि।


(आर. के. सिंह)

अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :  24/4/18 -

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. एकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।
2. श्री आर. पी. गोवर, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त-वाई.ए. कार्यालय, के.सू.आ., नई दिल्ली।

